बिहार सरकार

निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय

7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :– 22.06.2015

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन, 2015 में अभ्यर्थी व्यय के अनुश्रवण हेतु आयकर महानिदेशक (अन्वेषण), बिहार, पटना को शिकायतों के निष्पादन हेतु कोषांग बनाने का निदेश दिया गया है। उनके स्तर से निर्वाचन में अघोषित धन के उपयोग को रोकने हेतु एक टॉल फ्री दूरभाष नं0 दिया जायेगा जिस पर इस संबंध में प्राप्त शिकायतों पर आयकर विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

आयोग द्वारा अभ्यर्थी व्यय के अनुश्रवण एवं अघोषित धन के हस्तांतरण हेतु Flying Squad बनाने के साथ–साथ जिला स्तर पर अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग बनाने उसमें शिकायतों की प्राप्ति हेतु हेल्पलाईन के माध्यम से सूचना प्राप्त करने तथा प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को आयोग के निदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए उन्हें इसका शत–प्रतिशत अनुपालन करने का निदेश दिया गया है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना के द्वारा आयकर एवं पुलिस विभाग के नोडल पदाधिकारियों की बैठक दिनांक 23.06.2015 को बुलाई गई है तथा उनकी उपस्थिति में सभी जिलों के जिला पदाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा निर्धारित है।

निर्वाचन आयोग द्वारा अघोषित तथा ब्लैक मनी के उपयोग एवं उसके हस्तांतरण पर रोक लगाने हेतु राज्य पुलिस तथा आयकर विभाग को नोडल पदाधिकारी नामित करते हुए उन्हें समेकित रूप से प्रभावी कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। इस संबंध में आयोग द्वारा अभ्यर्थी व्यय का नियमित अनुश्रवण करने तथा अघोषित धन के व्यवहार पर रोक लगाने हेतु सभी संभव कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। साथ ही आयोग द्वारा उपर्युक्त निदेश से सभी राजनीतिक दलों को भी अवगत कराने का निदेश भी दिया गया है।

****